राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– परलीका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : 48 सन 2018

1. दौलततराम पुत्र लिछमण जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शंकरलाल पुत्र लिछमण जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 लिछमण पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर
2 विधा पुत्री लिछमण पत्नी मांगेराम जाति जाट साकिन कुलेरी तहसील व जिला हिसार
3 मुनी पुत्री लिछमण पत्नी मुरारीलाल जाति जाट साकिन फुलका तहसील व जिला सिरसा
4 सुमित्रा पुत्री लिछमण पत्नि शेरसिह जाति जाट साकिन फुलका तहसील व जिला सिरसा
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

<u>प्रतिवादीगण</u>

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर 103/100 की कुल 2.7830हैक चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 105/102 की कुल 2.1500हैक चक 15 एनटीआरए के खाता संख्या 131/129 की कुल1.0120हैक व चक 7 बारानी के खाता संख्या 363/342 की कुल 2.5290हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा सांवल पुत्र पूर्णराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके पाचं पुत्रों पर औद हुई अर्थात लेखराम के नाम विरास्तन से भूमि दर्ज हुई लेखराम के एक पुत्र लिछमण है जिसके पांच वारिस है वर्तमान में वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसके कारण वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादीगण की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया ।

हमने वकील वादी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज सांवला के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जिसमें लेखराम के हिस्से की भूमि दर्ज हुई जिनके हिस्से में से विरास्तन से वादी के पिता लिछमण के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का आपस में राजीनामा होने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण स्टॉम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर 103/100 की कुल 2.7830हैक चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 105/102 की कुल 2.1500हैक चक 15 एनटीआरए के खाता संख्या 131/129 की कुल1.0120हैक व चक 7 बारानी के खाता संख्या 363/342 की कुल 2.5290हैक भूमि में जो भूमि लिछमण के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SHZaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–परलीका

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– परलीका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

आज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

1. दौलततराम पुत्र लिछमण जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शंकरलाल पुत्र लिछमण जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 लिछमण पुत्र लेखराम जाति जाट साकनि परलीका तहसील नोहर
2 विधा पुत्री लिछमण पत्नी मांगेराम जाति जाट साकिन कुलेरी तहसील व जिला हिसार
3 मुनी पुत्री लिछमण पत्नी मुरारीलाल जाति जाट साकिन फुलका तहसील व जिला सिरसा
4 सुमित्रा पुत्री लिछमण पत्नि शेरसिह जाति जाट साकिन फुलका तहसील व जिला सिरसा
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 48 सन 2018 निर्णय दिनांक– 17.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर 103/100 की कुल 2.7830हैक चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 105/102 की कुल 2.1500हैक चक 15 एनटीआरए के खाता संख्या 131/129 की कुल1.0120हैक व चक 7 बारानी के खाता संख्या 363/342 की कुल 2.5290हैक भूमि में जो भूमि लिछमण के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SD Jaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोर्ट– परलीका